कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली (छ.ग.)

// आदेश //

आदेश क्रमांक– **07/F.NO.13/DLSA**/2024 मुंगेली, दिनांक 08 मई 2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली के अंतर्गत स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम मुंगेली के कार्यालय हेतु स्टॉफ के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एन्ट्री आपरेटर (टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित कार्यालय छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/LADCs -23/2024 बिलासपुर दिनांक 03.05.2024 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 30.04.2025 तक के लिये निर्धारित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप)
01	श्री जितेन्द्र कुमार साहू पिता श्री इन्द्र कुमार साहू ग्राम धौराभाठ मानस चौक, पोस्ट चंदली तह. लोरमी, जिला मुंगेली(छ.ग.)	कार्यालय सहायक क्लर्क	15,000/–
02	श्री अमित कुमार पिता श्री आत्मा राम ग्राम हरमुड़ी पोस्ट कंवराकांपा तह. नवागढ़ जिला बेमेतरा(छ.ग.)	रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एन्ट्री आपरेटर (टाईपिस्ट)	12,000/–
03	श्री सुनील कुमार जांगडे पिता श्री मुक्तावन ग्राम परसाकापा पो.आ. कंतेली तहसील व थाना लालपुर जिला मुंगेली (छ.ग.)	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेट)	9,000/–

नियुक्ति की शर्ते

1— उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

2— चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जायेगी।

3— चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

4— कार्य संतोषजनक नहीं जाये जाने से उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हे तत्काल सेवा से मुक्त किया जावेगा।

5— लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी की नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल नालसा के दिशा—निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष के लिये अर्थात दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2025 तक की अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है।

6— लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्र. एल/20/2019—नालसा दिनांक 24.08.2022 के साथ संलग्न दिशा—निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा साकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्र. फा.नं.एल/20/2019—नालसा दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र क्र. फा.नं.एल/20/2019—नालसा दिनांक 14.02.2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यो को नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेगें, यदि कार्य, संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेंगी।

7— लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेगें।

8– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.N. L-27/2022-NALSA(part File) 4678-4714 dated 27th March,2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा। उपरोक्त संविदा नियुक्ति में प्राप्त एकमुश्त संविदा भुगतान मानदेय (रिटेनरशिप) के रूप में हैं, वेतनभोगी के रूप में नही हैं।

सही/–
(चन्द्रकुमार अजगल्ले)
जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली (छ.ग.)